छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 29 जुलाई, 2010 (श्रावण 7, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, गुरू रूद्रकुमार, सदस्य, प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में धान भीगने से खराब होने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित जीवन दीप समितियों में व्याप्त अनियमितताओं की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. संकल्प

निर्धारित समय 30 मिनट

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि प्रदेश के सभी ए.पी.एल. राशन कार्ड धारकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राज्य को प्रतिमाह इकसठ हजार मेट्रिक टन चावल तथा बत्तीस हजार मेट्रिक टन गेहूं का आबंटन सुनिश्चित किया जाए।"

5. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 58, 64, 67, 68, 76, 79, 80, 81, एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **नौ सौ चौरासी करोड़, अंठावन लाख, तेईस हजार, तीन सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

3 घंटे

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 (क्रमांक- 19 सन् 2010) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 28 जुलाई, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.